

मि.सं.-50011/04/2020-समन्वय

भारत सरकार/Government of India

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय/Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग/Department of Agriculture & Farmers Welfare

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय/Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage

एन.एच.-4, फरीदाबाद -121001 (हरियाणा)

दिनांक - 17/03/2023

कार्यालय आदेश सं. 12/2023

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उपधारा (1) तथा (5) की उपधारा (1) तथा (2) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसरण में वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के कार्यालय आदेश सं. 11/2022 दिनांक 25/11/2022 में आंशिक संसोधन के क्रम में निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने उल्लिखित कार्यालयों/योजनाओं के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) रूप में पदनामित किया जाता है-


क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पता	पदनामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
1.	प्रशासन -I	वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन.एच.-4, फरीदाबाद	श्री मनोज कुमार यादव (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी)
	प्रशासन -II	वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन.एच.-4, फरीदाबाद टेली-0129-2476318 ई-मेल: so2ppqs@gov.in	एवम् अवर सचिव (मुख्यालय) <u>कुमार</u> : cao-ppqs@gov.in
	प्रशासन -III	वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन.एच.-4, फरीदाबाद	
2.	सामान्य प्रशासन अनुभाग, प्रशासन -IV और लेखा अनुभाग	वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन.एच.-4, फरीदाबाद	

  
12/03  
(डॉ. एन. सत्यनारायण)  
संयुक्त निदेशक (वर्षोवि.) एवं  
नोडल अधिकारी (आर.टी.आई.)

वितरण:

- पदनामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित और विशेष रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (4) की उपधारा (1) में उल्लिखित अनुदेशों पर आवश्यक कार्रवाई करें।

2. डॉ. एन.सत्यनारायण, संयुक्त निदेशक (वरोवि.) एवं नोडल अधिकारी (आर.टी.आई.) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
4. आर.टी.आई. सैल, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. वनस्पति संरक्षण सलाहकार के सूचनार्थ उनके निजी सचिव को।
6. प्रभारी, आई.टी. सेल(मुख्यालय) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।



( डॉ.एन.सत्यनारायण)  
संयुक्त निदेशक (वरोवि.) एवं  
नोडलअधिकारी(आर.टी.आई.)